

प्रेषक,

निदेशक,
विकलांग कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिला विकलांग कल्याण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: 2137/वि0क0/यो0/आवंटन/2011-12 : लखनऊ दिनांक : 21 अक्टूबर, 2011

विषय:- वित्तीय वर्ष 2011-12 में नेत्रहीन, मूकबधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांगों को उनके भरण-पोषण हेतु अनुदान (जिला योजना) के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में द्वितीय छः माह के लिए वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2011-12 में शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को भरण पोषण हेतु अनुदान योजना के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में संलग्न परिशिष्ट में दिये गये जनपदवार आवंटन/फॉट के अनुसार द्वितीय 6 माह के लिये कुल रु0 50,69,51,100/- (रुपये पचास करोड़ उनहत्तर लाख इक्यावन हजार एक सौ मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रखी जाती है :-

- 1- उक्त धनराशि से सी0बी0एस0 तथा नॉन सी0बी0एस0 दोनों ही प्रकार के खाताधारी विकलांग पेंशनर्स को विकलांग पेंशन का भुगतान किया जायेगा।
- 2- उपर्युक्त धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सुसंगत वित्तीय नियमों, आदेशों तथा मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।
- 3- आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा। धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।
- 4- विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय के नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1195/दस-16/1994, दिनांक 6 जून, 1994 तथा शासनादेश संख्या-बी-2337/दस-97, दिनांक 21.11.1997 द्वारा निर्गत निर्देशों का भी कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- 5- मासिक व्यय विवरण प्रपत्र बी0एम0-8 पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक निदेशक, विकलांग कल्याण को उपलब्ध कराया जायेगा। बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जाने वाली सूचना तथा उसके सम्बन्ध में कलैण्डर के संकलित प्रारूप का उल्लेख मुख्य सचिव के अर्धशासकीय पत्र संख्या-3318/दस-22-98, दिनांक 28.07.1998 में किया गया है।
- 6- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-79 के लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-आयोजनेत्तर-07-नेत्रहीन, मूक बधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांगों को उनके भरण पोषण हेतु अनुदान-20-सहायक अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।
- 7- उक्त आवंटन निदेशालय की अनुदान पंजिका के पृष्ठ सं013 पर अंकित हैं।

भवदीय,

(आर0 एन0 उपाध्याय)
निदेशक।

पृष्ठांक संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार:

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकादारी (प्रथम)/आडिट-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, विकलांग कल्याण अनुभाग-2।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश/कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, विकलांग कल्याण/समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (बजट) अनुभाग-1/2
8. नियोजन अनुभाग-3

(नारेन्द्र सिंह)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी।

